दैनिक न्याय साक्षी

खबरें खास

रायगढ़, सोमवार, 02 मई 2022

www.nyaysakshi.com

महत्वपूर्ण एवं खास

फरार वारंटियों को लगातार न्यायालय पेश कर रही पुसौर पुलिस, दो दिनों में 5 वारंटों की हुई तामिली

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के दिशा निर्देशन पर थाना प्रभारी पुसौर उपनिरीक्षक गिरधारी द्वारा न्यायालय से जारी किये गये वारंटों की निरंतर तामिली के लिये अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गत शनिवार एवं आज मारपीट एवं शराब के केस में आरोपियों पर जारी पांच वारंटों की तामिल कर वारंटियों को न्यायालय पेश किया गया है जो नियत तिथि को न्यायालय उपस्थित नहीं होने से माननीय न्यायालय द्वारा वारंटियों का वारंट जारी किया गया था। तामिल किये गये वारंटी - (1) विनोद सिदार पिता शौकीलाल सिदार उम्र 47 वर्ष निवासी लोहाखान पुसौर (2) सेत कुमार गुप्ता पिता कुशराम गुप्ता 49 वर्ष निवासी छिछोर उमरिया पुसौर (3) प्रेम कुमार सिदार पिता कुंदरू सिदार 52 वर्ष निवासी बरपाली थाना पुसौर (4) दिलमणि सिदार पिता प्रेम कुमार सिदार उम्र 27 वर्ष निवासी बरपाली थाना पुसौर (5) रामजीत पटेल पिता भुरसू पटेल उम्र 62 वर्ष निवासी बाघाटोला थाना पुसौर।

घर घुसकर अकेली युवती से छेड़छाड़ करने वाला युवक गया जेल

रायगढ़। कोतवाली पुलिस द्वारा आज दिनांक 01.05.2022 को छेड़खानी के दो मामलों में त्वरित कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है, दोनों ही मामलों में आरोपियों को जेल दाखिल किया गया है। दिनांक 01/05/2022 के दोपहर करीब 03.00 बजे थाना सिटी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत ढिमरापुर क्षेत्र में रहने वाली 20 वर्षीय युवती अपने परिजनों के साथ थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि आज दिनांक 01/05/2022 को दोपहर के समय उसके माता पिता घरेलू सामान लेने रायगढ़ टाउन की तरफ गए हुए थे। घर में अकेली थी दोपहर करीब 2:00 बजे सूरज लहरे नाम का युवक घर अंदर घुस आया और अकेली देखकर गंदे इशारे कर छेड़खानी की नियत से हाथ, पांव पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा जिससे जैसे-तैसे अपने आप को छुड़ाकर घर से बाहर भाग कर आई और अपने परिजनों को फोन कर घटना की जानकारी दी जिनके घर आने के बाद सभी थाना कोतवाली पहुंचकर थाने में घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई , रिपोर्ट पर आरोपी सूरज लहरे के विरुद्ध धारा 452, 354 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर थाना प्रभारी मनीष नागर के निर्देशन पर कोतवाली पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी आरोपी सूरज लहरे पिता पुनीराम लहरे 25 साल निवासी अम्बेडकर आवास रायगढ़ थाना कोतवाली की पतासाजी कर थाना लाया गया। थाना प्रभारी मनीष नागर के निर्देशन पर महिला प्रधान आरक्षक समुंद रनकर द्वारा आरोपी की गिरफ्तार कर रिमांड में भेजा गया जहां जेल वारंट पर आरोपी सूरज लहरें को जेल दाखिल कराया गया है।

जंगल लकड़ी लेने गई महिला को हाथी उतारा मौत के घाट

सूरजपुर (आरएनएस)। सूरजपुर जंगल में लकड़ी लेने गई एक अधेड़ महिला को हाथी ने मौत के घाट उतारा दिया। मिली जानकारी के मुताबिक, मामला प्रतापपुर वन परीक्षेत्र धरमपुर सर्किल का है। अधेड़ महिला अपनी बेटी के घर घूमने के लिए आई थी। वहीं बगल में रहने वाली दो महिलाओं के साथ जंगल में लकड़ी लेने के लिए गई हुई थी। उसी दौरान हाथी से उसका सामना हुआ। जिसके बाद हाथी ने उसे पटक कर मार डाला वही साथ में गई दो महिलाओं ने भाग कर अपनी जान बचाई।

फाइनेंस में क्रय की हुई ट्रैक्टर को धोखाधड़ी कर बेचा मणिपुर में

- आरोपी एवं वाहन की पतासाजी में भारत-म्यांमार बर्मा बॉडर पहुंची कोतवाली पुलिस : ट्रैक्टर जब्त, आरोपी गिरफ्तार
- गिरफ्तार आरोपी से 9.11 लाख का मशरूका जब्त, अपराध में संलिप्त एक आरोपी की तलाश जारी

रायगढ़। रायगढ़ स्थित ट्रैक्टर शोरूम से फाइनेंस की गई ट्रैक्टर को फाइनेंस में क्रय कर रायगढ़ चक्रधरनगर थाना क्षेत्र निवासी सदानंद महार फाइनेंस कंपनी के साथ धोखाधड़ी कर मणिपुर राज्य में बेच दिया था। कोतवाली थाना प्रभारी मनीष नागर द्वारा पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के दिशा निर्देशन पर पुलिस टीम मणिपुर रवाना किया गया जहां राजधानी इंफाल से 80 किलोमीटर दूर उग्रवादी प्रभावित संवेदनशील क्षेत्र से वाहन की बरामदगी कर प्रार्थी फाइनेंस कंपनी के प्रतिनिधि को सुपुर्दनामें में दिया गया है तथा कूटरचित कर वाहन को बेचने वाले आरोपी को कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

जानकारी के अनुसार ढिमरापुर रायगढ स्थित कोणार्क आटो सेंटर के संचालक विमल कुमार शर्मा थाना कोतवाली में दिनांक 26.04.2022 को रिपोर्ट दर्ज कराये कि मैसी फार्गुसन ट्रैक्टर का अधिकृत विक्रेता हैं। दिनांक 11.03.2022 को सदानंद महार निवासी तेलीपारा टारपारा रायगढ के द्वारा एजेंसी आकर एक नया टेक्टर मैसी फर्गुसन एम एफ 246 डीआई 4 डब्लू डी को क्रय करने बोला तथा उक्त टेक्टर का कुछ नगदी एवं बाकी को फाईनेंस के माध्यम से पेमेंट करना बताया। सदानंद मेहर ट्रैक्टर का कुल 9 लाख 11 हजार रूपये में 03 लाख 11 हजार रूपये को नगदी पेमेंट किया और 06 लाख रू को बाद मे फाईनेंस कराउंगा कहकर टेक्टर को लेकर चला गया किन्तु 06 लाख रू का फाईनेंस नही कराया और न ही नगद मे जमा किया है। उक्त टेक्टर को किसी अन्य व्यक्ति के पास बिक्री कर दिया है जबकि उक्त टेक्टर को बिक्री करने का अधिकार सदानंद महार को नही है। यह जानते हुये भी उसने हमे धोखे मे रखकर षडयंत्र पूर्वक टेक्टर को किसी अन्य व्यक्ति के पास बिक्री किया है। कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपी सदानंद महार पर अपराध क्रमांक 679/2022 धारा 420, 120 बी, 406 IPC का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दरमियान उक्त वाहन के मणिपुर राज्य राजधानी इंफाल में आरोपी सदानंद द्वारा किसी व्यक्ति को बेचे जाने की जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी कोतवाली द्वारा पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के दिशा निर्देशन, मार्गदर्शन में पुलिस टीम मणिपुर रवाना किया गया। कोतवाली पुलिस की टीम इंफाल पहुंची जहां से 80 किलोमीटर दूर उग्रवादी प्रभावित अति संवेदनशील क्षेत्र जिला केकचीन के व्हेखांग में ट्रैक्टर का होना पता चलने पर कोतवाली पुलिस स्थानीय पुलिस के साथ व्हेखांग पहुंची उक्त ट्रैक्टर को एक स्थानीय महिला द्वारा उपयोग किया जा रहा था जो पूछताछ में छत्तीसगढ़ के एक व्यक्ति द्वारा बिक्री करना बताई। वाहन की खरीदी बिक्री के संबंध में कागजात मांग करने पर महिला लीज में लेकर ट्रैक्टर वाहन को उपयोग करना बताई जिसे फाइनेंस की वाहन होना बताकर वाहन को जप्त कर केकचीन धाना लाया गया। जहां प्रार्थी विवेक शर्मा फाइनेंस कंपनी के प्रतिनिधि को वाहन सुपुर्दनामा में दिया गया। पश्चात कोतवाली पुलिस द्वारा रायगढ़ आकर आज दिनांक 01.05.2022 को आरोपी सदानंद महार पिता सुरती महार उम्र 33 वर्ष निवासी तेलीपारा टारपारा थाना चक्रधरनगर को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है, आरोपी द्वारा जिस व्यक्ति के माध्यम से वाहन मणिपुर भेजा गया है संबंधित को भी प्रकरण का आरोपी बनाया गया है जिसकी पतासाजी किया जा रहा है। प्रकरण में आरोपी पतासाजी एवं वाहन की बरामदगी में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष नागर, प्रधान आरक्षक संजय तिवारी, दिग्विजय दास वैष्णव की सराहनीय भूमिका रही है।

किराए के मकान में रहने आई युवती से मोहल्ले के युवक ने की छेड़खानी

- रिपोर्ट के 5 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल

रायगढ़। दिनांक 01.05.2022 को कोतवाली पुलिस द्वारा छेड़खानी के मामले में त्वरित कार्रवाई कर रिपोर्ट दर्ज के महज पांच घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड बाद जेल भेजा गया है।

जानकारी के मुताबिक किरोड़ीमल नगर क्षेत्र में रहने वाली युवती पिछले कुछ दिनों से थाना सिटी कोतवाली अंतर्गत एक मोहल्ले में अपने परिवार सहित आकर किराये मकान में रह रही हैं। उसी मोहल्ले में रहने वाला रज्जू खान नाम का लड़का युवती को आए दिन परेशान करता था। कई दिनों तक युवती रज्जु खान के छेड़खानी को सह कर लोक लाज के डर से रिपोर्ट नहीं करा रही थी जिससे रज्जु खान का हौसला और बढ़ता जा रहा था। दिनांक 10/04/2022 को इतवारी बाजार से जब युवती पंखा बनाकर वापस घर आ रही थी। मोहल्ले का रज्जु खान फिर रास्ते में महिला से अश्लील बातें बोला और उसका मोबाइल नंबर मांग रहा था, युवती चुपचाप घर चली गई और आखिरकार अपने पति को बताई जिसके बाद पति थाना कोतवाली में रिपोर्ट की सलाह दिया। युवती थाना आकर थाना प्रभारी मनीष नागर को घटना बताई थाना प्रभारी द्वारा तत्काल महिला के रिपोर्ट पर धारा 354 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी युवक रज्जू खान पिता रमजान खान उम्र 24 साल निवासी कोतवाली थाना क्षेत्र को पतासाजी कर अपराध कायमी के महज 5 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

युवक को धोखे में रख विवाहित युवती की दोबारा कराई शादी

- धोखाधड़ी करने वाले पिता-पुत्र को पुलिस ने झारखंड से किया गिरफ्तार
- आरोपित युवती हुई फरार, पतासाजी तेज

रायगढ़। कोतवाली पुलिस द्वारा एक बेहद अजीबोगरीब मामले में धोखाधड़ी के आरोपित पिता-पुत्र को झारखंड गिरिडीह से गिरफ्तार कर रायगढ़ लाया गया जिन्हें आज धोखाधड़ी के आरोप में न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। आरोपित प्रेमकुमार सलूजा (उम्र 60 वर्ष) एवं उसके पुत्र अनमोल सलूजा (उम्र 25 वर्ष) दोनों निवासी ग्राम सरिया गिरिडीह झारखंड द्वारा उनके परिवार की युवती आरती सलूजा का रायगढ़ के एक समृद्ध परिवार के युवक के साथ युवक तथा उसके परिवार को धोखे में रख युवती की शादी कराये थे जबकि युवती का पहले ही विवाह हो चुका था। सिटी कोतवाली रायगढ़ में अपराध दर्ज होने के बाद से युवती एवं उसका परिवार लुक छिप रहे थे।

पीड़ित युवक बताया कि दिनांक 28.11.2019 को आरती सलूजा पुत्री प्रेम कुमार सलूजा निवासी ग्राम सरिया जिला-सहमति (झारखण्ड) के साथ संपन्न हुआ है। इस विवाह के लिए आरती सलूजा की माता रजनी सलूजा पिता प्रेमकुमार सलूजा भाई अनमोल सलूजा माह जनवरी 2019 में पैलेस रोड रायगढ़ स्थित घर में आकर मिले थे। उन्होंने आरती सलूजा को कुवारी और आस्ट्रेलिया से शिक्षा प्राप्त और पूर्व में आस्ट्रेलिया में कार्यरत होना दर्शाकर उसके साथ विवाह करने की परिजनों से सहमति प्राप्त कर लिये। जब लडकी देखने उनके घर जाने वाले थे तो वे पटना (बिहार) बुलाये और सगाई का स्थल रायगढ़ तय किये। पटना में उन्हें जानने पहचानने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था । विवाह के बाद दिनांक 25.03.2021 को गिरडीह के अधिवक्ता एम. असारी द्वारा दिये गये दस्तावेजों से पता चला कि आरती सलूजा मुझसे विवाह करने के पहले से ही विवाहित एवं तलाकशुदा थी तथा मेरी सगाई के दौरान उसके पूर्व पति के साथ उसका वैवाहिक संबंध समाप्त नहीं हुआ था बल्कि उनके मध्य गिरडीह के न्यायालय में मामला लंबित था तथा मुझे उसी समय यह भी ज्ञात हुआ कि आरती सलूजा ऑस्ट्रेलिया से शिक्षा प्राप्त नहीं की है बल्कि IGNOU अंतर्गत अध्ययनरत् है एवं वह ऑस्ट्रेलिया में कभी कार्यरत नहीं रही है। आरोपियों पर थाना कोतवाली में अप.क्र. 423/2022 धारा 420, 494, 495, 34 IPC का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाकर आरोपियों के सकुनत में होने की जानकारी पुख्ता होने पर वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर कोतवाली थाना प्रभारी मनीष नागर द्वारा तत्काल पुलिस टीम झारखंड रवाना किया गया। जहां कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपियों का पतासाजी किया गया, आरोपिया आरती सलूजा के पंजाब भाग जाने की जानकारी मिली, पुलिस टीम द्वारा आरोपित प्रेम कुमार सलूजा तथा भाई अनमोल सलूजा निवासी सरिया गिरिडीह झारखंड को गिरफ्तार कर रायगढ़ लाया गया जिन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। आरोपी पतासाजी गिरफ्तारी में थाना प्रभारी कोतवाली मनीष नागर उपनिरीक्षक बी.एस. डहरिया आरक्षक कोमल तिवारी की अहम भूमिका रही है।

सरिया क्षेत्र से लापता हुई नाबालिग बालिका को बलौदा बाजार के भटगांव में किया गया दस्तयाब

- नाबालिग को भगा कर ले जाने वाला युवक गिरफ्तार, आरोपी गया जेल
- बेटे की करतूत पर पिता का सहयोग, आरोपित के पिता को भी बनाया गया आरोपी

रायगढ़। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले के दिशा निर्देशन एवं एस.डी.ओ.पी. सारंगढ़ प्रभात पटेल के कुशल मार्गदर्शन पर पिछले 45 दिनों से संदेही युवक नाबालिग बालिका को भगा ले जाकर लगातार अपना निवास स्थान बदल रहा था जिसे सक्रिय सूचना तंत्र के जरिए थाना प्रभारी सरिया उपनिरीक्षक कमल किशोर पटेल द्वारा पकड़ा गया है। थाना क्षेत्र से 14 मार्च को लापता हुई नाबालिग बालिका को जिला बलौदा बाजार के भटगांव क्षेत्र में संदेही युवक किशन मानिकपुरी निवासी थाना क्षेत्र सरिया के कब्जे से दस्तयाब कर थाना लाया गया है। आरोपित युवक किशन मानिकपुरी पर नाबालिग को भगा ले जाकर शारीरिक संबंध बनाने के अपराध में पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। वहीं नाबालिग को भगा ले जाने की जानकारी होते हुए भी आरोपी किशन मानिकपुरी के पिता बसंत मानिकपुरी द्वारा उसके अपराध में सहयोग करने का दोषी पाते हुए थाना प्रभारी सरिया द्वारा बसंत मानिकपुरी को सह आरोपी बनाया गया है जिसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दिया गया जो फरार है।

घटना के संबंध में 17 मार्च 2022 को बालिका के पिता द्वारा उसकी नाबालिक पुत्री उम्र करीब 16 वर्ष को किशन मानिकपुरी द्वारा भगाकर ले जाने की संदेह व्यक्त कर रिपोर्ट दर्ज कराया गया था जिस पर थाना सरिया में अप.क्र. 57/2022 धारा 363 IPC अपराध कायनी का थाना प्रभारी सरिया उपनिरीक्षक कमल किशोर पटेल द्वारा लगातार संदेही व बालिका की पतासाजी किया जा रहा था जो निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान बदलने से पुलिस टीम बालिका के दस्तयाबी में सफल नहीं हो पाई थी जिसके बाद थाना प्रभारी द्वारा मुखबिरों को सक्रिय कर सूचनाएं लिया गया एवं सूचना पर भटगांव में दबिश देकर आरोपी किशन मानिकपुरी (23 साल) के कब्जे से बालिका को दस्तयाब कर थाना लाया गया। बालिका के कथन, मुलाहिजा पश्चात प्रकरण में धारा 366, 376 भादवि 4, 6 पॉक्सो एक्ट विस्तारित कर आरोपी किशन मानिकपुरी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। सह आरोपी बसंत मानिकपुरी अपने सकुनत से फरार है, जिसकी पतासाजी की जा रही है।

30 लीटर महुआ शराब के साथ दो आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़। दिनांक 01/05/2022 को कोतरारोड़ पुलिस द्वारा मुखबीर सूचना पर मेन रोड बरभांठा तालाब के पास ग्राम कोतरा में दो युवकों को मोटरसाइकिल पर शराब परिवहन करते पकड़ा गया है, जिनके पास से कुल 30 लीटर महुआ शराब एवं परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल की जब्ती कर आबकारी एक्ट की कार्यवाही कर दोनों आरोपियों को रिमांड पर भेजा गया है।

प्रशिक्षु आईपीएस प्रभात कुमार के नेतृत्व में थाना कोतरा रोड के सहायक उपनिरीक्षक शिव सिंह बक्सल, प्रधान आरक्षक प्रेम सिदार, आरक्षक अभिषेक द्विवेदी, संदीप कौशिक, महेश पंडा एवं कांता चौहान की रेड कार्यवाही में अहम भूमिका रही है। दरअसल कोतरारोड़ की पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी को मुखबिर से सूचना मिला कि दो व्यक्ति काले रंग की मोटर सायकल में भारी मात्रा में महुआ शराब ग्राम नवरंगपुर में बिक्री कर ग्राम कुसमुरा की ओर आ रहे हैं। सूचना पर गवाहों के साथ पुलिस टीम द्वारा घात लगाकर ग्राम कोतरा बरभांठा तालाब रोड के पास घेराबंदी कर संदेही के हुलिये अनुसार मोटर सायकल चालक को रोककर पूछताछ किया गया जो अपना नाम धरमसिंह सिदार पिता स्व0 घुराउ राम सिदार उम्र 35 वर्ष सा0 नवरंगपुर थाना कोतरा रोड रायगढ तथा मो0सा0 के पीछे बैठा व्यक्ति अपना नाम भोज लाल सिदार पिता बाबु राम उम्र 35 वर्ष सा0 नवरंगपुर डीपापारा थाना कोतरा रोड रायगढ का होना बताये जिनके पास से 5 व 25 लीटर कुल 30 लीटर महुआ शराब एवं शराब के परिवहन में प्रयुक्त मोटर सायकल क्रमांक CG 13 Z 8742 को जप्त कर आरोपियों पर थाना कोतरारोड़ में धारा 34 (2), 59 (क) आबकारी एक्ट की कार्रवाई कर आरोपियों को रिमांड पर भेजा गया है।

विधायक, कलेक्टर एवं महापौर ने स्वच्छता दीदियों संग उठाया बोरे बासी का लुफ्त

- मजदूर दिवस के अवसर पर मजदूरों के सम्मान में नगर निगम में आयोजित हुआ बोरे बासी खाबो कार्यक्रम

रायगढ़। मजदूर दिवस के अवसर पर मजदूरों के सम्मान पर नगर निगम रायगढ़ में बोरे बासी खाबो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर शहर की स्वच्छता की पहली पायदान में रहने वाली स्वच्छता दीदियों का पुष्प गुच्छ एवं गुलाल लगाकर सम्मान किया गया।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आव्हान पर आयोजित इस कार्यक्रम में विधायक रायगढ़ प्रकाश नायक, कलेक्टर भीम सिंह, महापौर जानकी काटजू, वार्ड पार्षद सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने स्वच्छता दीदियों संग छत्तीसगढ़ के पारम्परिक भोजन बासी और पाताल चटनी का लुफ्त उठाया। विधायक प्रकाश नायक ने इस बात पर खुशी जताई कि आज के लिए अपने अथक परिश्रम से शहर को साफ रखने का कार्य कर रही स्वच्छता दीदियों के साथ बोरे बासी भोज का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढिय़ा परंपराओं को जीवित रखने का प्रयास कर रहे मुख्यमंत्री बघेल का इस दिशा में एक और शानदार प्रयास है। कोरोना के दौरान भी स्वच्छता दीदियों ने बहुत ही साहस के साथ शहर की साफ -सफाई का काम निरंतर जारी रखा। स्वच्छता दीदियों के साथ बोरे बासी बैठ कर खाना हमारे लिए सम्मान की बात हैं। उन्होंने कहा कि यहां की माटी में जन्म लेने वाले मुख्यमंत्री यहां की रीति-रिवाजों और परंपराओं से भी भलीभांति परिचित हैं। कलेक्टर भीम सिंह ने कहा कि यह स्वादिष्ट, सुपाच्य और गर्मी के दिनों में शरीर को ठंडक प्रदान करती है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मितान योजना का किया शुभारंभ, दस्तावेज बनाने एक कॉल पर मिलेगी घर पहुंच सेवा

रायगढ़। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज प्रदेश के 14 नगर निगमों में मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से किया। इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण रायगढ़ के नगर निगम सभाकक्ष में किया गया।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री मितान योजना से जनसामान्य को अन्य कार्यो को छोड़कर दस्तावेज बनाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर से मुक्ति मिलेगी। इस योजना के अन्तर्गत सेवाओं के लिए मितान टोल फ्री नंबर 14545 एक कॉल करने पर मितान घर पहुंच जाएगा। सेवाएं प्राप्त करने वाले व्यक्ति की उपयोगी दस्तावेजों का स्कैन किया जाएगा एवं दस्तावेज बनाने उपरांत मितान द्वारा उसे घर पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि इस योजना के माध्यम से सभी नागरिकों विशेषत: बुजुर्गों, दिव्यांगों एवं निरक्षरों को आसानी से कई प्रकार की सेवाएं घर बैठे ही मिल सकेगी। वर्तमान में 14 नगर निगमों में 13 प्रकार की सेवा उपलब्ध होगी, जिसका शीघ्र ही पूरे प्रदेश में विस्तार किया जाएगा और अन्य सेवाएं भी इस योजना के माध्यम से प्राप्त की जा सकेगी। प्रारंभ में इस योजना अन्तर्गत जन्म प्रमाण पत्र, विवाह, निवास, आय, मृत्यु प्रमाण पत्र एवं अन्य सेवाओं की घर पहुँच सुविधा मिलेगी। मितान योजना की सारी प्रक्रिया डिजीटल होगी।

नगर निगम कार्यालय रायगढ़ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक, कलेक्टर भीम सिंह, महापौर जानकी काटजू, सभापति जयंत ठेठवार, वार्ड पार्षद सहित नगर निगम के अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480